पटना में दिनांक–15 अक्टूबर, 2024 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

<u>निम्नलिखित निर्णय लिये गये</u> :–

	ऊर्जा विभाग		
1.	राज्य की साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड अंतर्गत कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गॉवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme) अंतर्गत कुल प्रस्तावित राशि 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 117.80 करोड़ (एक सौ सतरह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 70.68 करोड़ (सत्तर करोड़ अड़सठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 47.12 करोड़ (सैंतालीस करोड़ बारह लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	खान एवं भूतत्व विभाग		
2.	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	गृह विभाग		
3.	नव अधिनियमित तीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में वर्णित श्रव्य–दृष्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग की विधिक अनिवार्यताओं के दृष्टिगत बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्त्ताओं को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल लागत राशि ₹190,63,20,000 (एक सौ नब्बे करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	भवन निर्माण विभाग		
4.	भवन निर्माण विभाग के अधीन बापू टॉवर, पटना के निर्बाध संचालन, समुचित रख–रखाव एवं अनुश्रवण हेतु गैर योजना मद में कुल ₹1,63,51,104/–(एक करोड़ तिरेसठ लाख इक्यावन हजार एक सौ चार रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर निदेशक (संग्रहालय), बापू टॉवर, पटना के कार्यालय का गठन सहित आवश्यक कुल 20 पदों का सृजन।	4.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य, पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 8994.46 लाख रूपये (नवासी करोड़ चौरानवे लाख छियालीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6. कुण्डघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 270.3147 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़ एकतीस लाख सैंतालीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

7. जल संसाधन विभाग के अधीन मांग संख्या–49 के तहत मुख्य शीर्ष–4700–मुख्य सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष –0208–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (उत्तर कोयल जलाशय परियोजना) विपत्र कोड–49–4700800510208 के अंतर्गत 49.8198 करोड़ रूपये (उनचास करोड़ इक्यासी लाख अन्ठानवें हजार रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के अन्तर्गत फेज–2 के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित कार्यकारी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 14,16,31,000/–(चौदह करोड़ सोलह लाख इक्कतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० जनार्दन प्रसाद सुकुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना के विरूद्ध सरकारी कार्यक्रम में कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान शराब सेवन करने एव गैर महिला को अप्राधिकृत रूप से अपने आरक्षित कमरे में प्रश्रेय देने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–852(9) दिनांक–28.10.2022 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सेवा में पुनःस्थापित करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. डा० नादरा फातमा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका को दिनांक 14.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

12. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कार्य निरीक्षक संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

13. नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोकामा की स्थापना हेतु कुल 43 (तैंतालीस) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2024–25 में करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में रूपये 125.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 से रूपये 239.51 लाख (दो करोड़ उनतालीस लाख इक्यावन हजार) प्रति वर्ष की राशि की व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा राज्य के अधिकांश पैक्सों का निर्वाचन कराने के निमित्त कुल ₹18,64,03,000/–(अठारह करोड़ चौसठ लाख तीन हजार रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन हेतु कुल ₹6,00,00,000/–(छः करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्त्तव्यों का प्रभार धारण करने की अवधि में रू० 200/–प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए रू० 15,000/–प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम–8 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

कृषि विभाग

17. बिहार कृषि सेवा, कोटि–3 (रसायन) के अन्तर्गत समूह –'क' एवं 'ख' के पदों के सृजन एवं पुर्नगठन। — 17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. बिहार कृषि सेवा, कोटि–5 (पौधा संरक्षण) के अन्तर्गत समूह –'क' एवं 'ख' के पदों के सृजन एवं पुर्नगठन। — 18. स्वीकृत।

कृषि विभाग

19. बिहार कृषि सेवा, कोटि–2 (कृषि अभियंत्रण) के अन्तर्गत समूह –'क' एवं 'ख' के पदों के सृजन, प्रत्यर्पण सम्परिवर्तन। — 19. स्वीकृत।

कृषि विभाग

20. बिहार कृषि सेवा, कोटि–1 (शष्य) के अन्तर्गत समूह –'क' एवं 'ख' के पदों के सम्परिवर्तन। — 20. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

21. दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बिरौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

22. बिहार उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश कोटि) के स्वीकृत संवर्गीय पद बल के आधार पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में पदों का सम्परिवर्तन की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।